संख्या-150/2016/830/22-2-2016-17(110)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सचिन वर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध बन्दी सचिन वर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी-म0नं0-7/67, मो0 आनन्दपुरी, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दहेज में दो लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 02.05.2005 की रात्रि लगभग 08:00-09:00 बजे के मध्य अपनी पत्नी श्रीमती प्रीती की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-592/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-2 सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.02.2010 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14-01-2016 तक 05 वर्ष 06 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 04 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार कारागार से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सचिन वर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी जनपद-सहारनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सचिन वर्मा (बन्दी संख्या-6395/2010) पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-150/2016/830(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-150/2016/830@22-2-2016-17(110)/2015

दिनांक 15 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध बन्दी सचिन वर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी-मो0 आनन्दपुरी, म0नं0-7/67, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर। दहेज में दो लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 02.05.2005 की रात्रि लगभग 08:00-09:00 बजे के मध्य अपनी पत्नी श्रीमती प्रीती की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-592/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-2 सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.02.2010 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14-01-2016 तक 05 वर्ष 06 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 04 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार कारागार से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सचिन वर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी जनपद-सहारनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।